UPAG010061562026

न्यायालय Additional District and Sessions Judge,Court No-14, Agra
पीठासीन अधिकारी– (Smt. Jyotsna Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06261**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2610/2026

प्रवीन बचानी पुत्र श्री रमेश लाल बचानी, निवासी–55, चन्द्रामा सोसायटी, न्यू जी–वार्ड, आनन्द पार्क सोसायटी के अन्दर, कुबेर नगर, अहमदाबाद, गुजरात, आयु लगभग 39 साल।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोगी

मु0अ0सं0 100/2024
धारा–498ए, 504 भा0द0सं0 एवं
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–कमला नगर, जिला आगरा

दिनांकः–08.06.2026

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त प्रवीन बचानी द्वारा मु0अ0सं0 100/2024, धारा–498ए, 323, 506 भा0द0सं0 एवं धरा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–कमला नगर, जिला आगरा में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त ने स्वयं के शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त अपराध में न्यायालय में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा आवेदक/अभियुक्त का किसी अन्य न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

वादिया मुकदमा द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 20.02.2022 को प्रवीन बचानी के साथ हुई थी। शादी में प्रार्थिया के भाई द्वारा करीब 10 लाख रूपये खर्च किये गये थे। शादी के प्रथम विदा के पश्चात से ही ससुरालीजन शादी में दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा सास सीमा द्वारा प्रथम दिन ही कम दहेज का तायना देते हुए कहा कि हमारे लड़के को योग्यता के हिसाब से दहेज नहीं मिला है तथा कुछ भी नहीं दिया है, सास की उक्त बातों का पति प्रवीन, जेठ मनीष व ससुर रमेशलाल भी समर्थन करते हुए कहते थे कि हमारी हैसियत के हिसाब से कुछ नहीं मिला, समाज में हमारी बेइज्जती हुई है तथा अतिरिक्त दहेज में 11 लाख रूपये नगद की मांग निरंतर करने लगे तथा प्रार्थिया का उत्पीड़न करने लगे, सास सीमा प्रार्थिया को तीन–तीन दिनों तक भूखा रखती थी तथा उसको कमरे मे बन्द रखा जाता था, जब प्रार्थिया अपने पति प्रवीन से उक्त बातों की शिकायत करती तो पति उसको मुँह बन्द रखने व सास की तरफदारी करता था तथा अतिरिक्त दहेज लाने के लिये प्रार्थिया के साथ

गाली गलौज व अपमानित करता था। दिनांक 13.07.2022 को पति ने फोन किया कि प्रार्थिया की तबियत खराब है उसे ले जायें, प्रार्थिया को लेने उसके मामा राजेन्द्र मोटवानी, भाई मोहित मोहनानी एवं मॉ अंजना मोहनानी अहमदाबाद गये, अहमदाबाद में पति व सास के कहने पर वैध को दिखाया डाक्टर को नहीं दिखाया, वैध ने कहा कि प्रार्थिया को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, परन्तु प्रार्थिया को मामा राजेन्द्र व भाई मोहित आगरा ले आये और उसका ठीक से इलाज कराया। प्रार्थिया को प्रवीन दिनांक 16.10.2022 को ले गया। इसी बीच प्रार्थिया गर्भवती हुई तो सास सीमा द्वारा पति प्रवीन के हाथो गर्भपात की दवा खिलाने का प्रयास किया परन्तु प्रार्थिया द्वारा मोबाइल पर गूगल में दवा की जानकारी की गयी तो मालूम हुआ कि उक्त लोग प्रार्थिया के पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे। इस सम्बन्ध में प्रार्थिया द्वारा कहा तो उक्त ससुरालीजनों ने प्रार्थिया को कमरे में बन्द कर तीन दिन तक भूखा रखा गया। दिनांक 10.06.2023 को प्रार्थिया के प्रसव के लिये उसको स्वामी शांति प्रसाद चौरिटेबल अस्पताल उसके ससुरालीजन ले गये जहाँ अपर्याप्त सुविधा में उपचार के कारण सीजेरियन से प्रार्थिया ने जुडवां बच्चों सौम, सावरलोक को जन्म दिया। प्रसव के बाद भी ससुरालीजन सास सीमा, जेठ मनीष व पति प्रवीन प्रार्थिया के साथ और अधिक बुरा व्यवहार करने लगे तथा उससे घर का सारा काम लैट्रिन बाथरूम आदि भी साफ करवाने लगे तथा दहेज के लिये बुरी तरह से उत्पीडन करने लगे। जुडवाँ बच्चे होने के बाद भी कोई खुशी का प्रोग्राम नामकरण नहीं किया, बावजूद प्रार्थिया के भाई, मामा आदि अहमदाबाद गये तथा उनके द्वारा चाँदी के बर्तन दो कटोरी, दो थाली, एक तुलसी, एक गाय, दो चाँदी के झुंझने, दो कंगन, दो चम्मच, दो कंडले कुल बजन 1200 ग्राम व दो सोने की अंगूठी बजनी 1.5 तोला, सास व ससुर के लिये व 51,000/—रुपये नगद दिये गये परन्तु उक्त ससुरालीजन दिये गये सामान से खुश नहीं हुए तथा नगद 11 लाख रूपये की मांग उनकी यथावत् रही। बच्चे होने के उपरान्त प्रार्थिया का ध्यान पति व ससुरालीजनों ने नहीं रखा। इस कारण प्रार्थिया की मॉ ने उसे एक महीने के लिये दिनांक 01.08.2023 को मायके आगरा बुला लिया। दिनांक 02.09.2023 को प्रार्थिया का पति उसे आगरा लेने आया तो मायके वालों ने प्रार्थिया के साथ हो रहे उत्पीड़न की शिकायत की तो पति ने कहा भेज दो आगे से कोई गलती नहीं होगी। उसको 100 ग्राम का एक चाँदी का डॉलर व कान के बाली प्लेटिनम के उसकी मांग पर उसको दिलवाये, परन्तु पति, सास व जेठ का व्यवहार प्रार्थिया के प्रति शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न कारित करने वाला ही रहा। दिनांक 25.09.2023 को पति प्रवीन ने प्रार्थिया के भाई मोहित को फोन कर कहा कि मोनिका की तबियत ज्यादा खराब है, वापस मायके ले जाओ तो भाई ने अहमदाबाद से दिल्ली की हवाई जहाज की दोनों की टिकट व वापिसी की प्रवीन की बुक करायी, तब प्रवीन वमुश्किल मोनिका को दोनों बच्चों सहित दिल्ली हवाई अड्डे पर छोड़कर चला गया, तब प्रार्थियां द्वारा आगरा अपने भाई मोहित को फोन कर दिल्ली बुलाया तथा उसके साथ वह आगरा अपने मायके आयी, तभी से प्रार्थिया अपने मायके में निवास कर रही है, दुर्भाग्य से दिनांक 25.12.2023 को प्रार्थिया के

भाई मोहित का हृदय आघात से देहान्त हो गया। प्रार्थिया वर्तमान में अपनी गरीब, लाचार माँ के साथ उसके ऊपर बोझ बनकर रही है। प्रार्थिया के पति ने आज तक उसकी सुध नहीं ली है। ससुरालीजनों द्वारा प्रार्थिया को शादी में मिला सभी सामान जेवरात, उपहार अपने पास ही रख लिये है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना कमला नगर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 100/2024 अंतर्गत धारा–498ए, 504 भा0द0सं0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले में झूंठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसके विरूद्ध उक्त मुकद्दमा झूठा पंजीकृत कराया गया है और विवेचक द्वारा शपथकर्त्ता के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। शपथकर्त्ता को माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है और शपथकर्ता को जानकारी हुई है कि उपरोक्त मुकद्दमें माननीय न्यायालय द्वारा शपथकर्त्ता के वारण्ट जारी कर दिये है और स्थानीय पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, उसे अपनी गिरफ्तारी का भय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराये गये तथ्य झूठे, बेबुनियाद, मनगंढ़त आधारहीन हैं जबकि इस प्रकार का कोई भी अपराध शपथकर्त्ता द्वारा कारित नहीं किया है। वादिया मोनिका मोहनानी प्रार्थी/अभियुक्त से वैचारिक मतभेद होने के कारण नाराज होकर अपने ससुराल से अपना जेवर, सामान, कपड़े अपने साथ मायके ले आयी हैं और मायके में रह रही हैं। उसको किसी भी ससुरालीजन द्वारा न तो अतिरिक्त दहेज की माँग की है और न ही उसे तंग एवं परेशान किया है। मोनिका मोहनानी को कोई भी सामान जेवर ले जाने से उसे कभी नहीं रोका है न ही उनके साथ कभी गाली–गलौज की है और न ही कभी अतिरिक्त दहेज की किसी भी प्रकार की कोई भी मॉग की है। मोनिका मोहनानी ने किसी भी कथित घटना का कोई भी मेडीकल नहीं कराया है व मोनिका मोहनानी व अभियुक्त प्रवीन दोनों ही पक्षों की यह दूसरी शादी थी जो बिना किसी दान दहेज के साथ सम्पन्न हुई थी। यह वादी मुकद्दमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व माननीय न्यायालय में प्रेषित मुकद्दमों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है जो कि वादिया की बेईमानी की नीयत को स्पष्ट करता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी अन्य मामले में वांछित रहा हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर ही प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर श्रेणी के हैं। इन्हीं आधारों

पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर वादिया मुकदमा के के साथ दहेज की मांग हेतु उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, ऐसे में अभियुक्त द्वारा विवेचना में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने की कोई आशंका शेष नहीं है। अभियुक्त की गिरफतारी होने से उसके अपमानित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा विवेचक द्वारा धारा 41क द.प्र.सं. के तहत अभियुक्तगण को व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया था। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 (2021) सिविल अपील सं0–7898/2021** इस मामले में सुसंगत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रवीन बचानी पुत्र श्री रमेश लाल बचानी** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

1. अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित न्यायालय में मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करे।

2. न्यायालय में अभियुक्त नियत तिथि पर स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय की कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग करेगा।

3. यह कि अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से जुड़े किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, कोई धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4. यह कि अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

उक्त शर्तों की अवहेलना होने पर न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधि सम्मत् आदेश पारित करे।

(ज्योत्सना सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–14, आगरा।

दिनांक 08.06.2026

Digitally signed by JYOTSNA SINGH
Date: 2026.06.08 13:11:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court